



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112024-258947
CG-DL-E-27112024-258947

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4684]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 27, 2024/अग्रहायण 6, 1946

No. 4684]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 27, 2024/AGRAHAYANA 6, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2024

का.आ. 5074(अ).— केंद्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 47 के खंड (viiकच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एनएलसी इंडिया लिमिटेड ("एनएलसीआईएल") (पैन: AAACN1121C), जो एक हस्तांतरणकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, से एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड ("एनआईआरएल") (पैन: AAICN9440Q), जो एक हस्तांतरी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 1 अगस्त, 2024 को केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत आस्ति के हस्तांतरण को अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 122/2024/फा.सं. 225/68/2024-आईटीए-II]

डॉ. काख्रो जयप्रकाश टी. अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2024

S.O.5074 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (vii) of section 47 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the transfer of capital asset from NLC India Limited (“NLCIL”) (PAN: AAACN1121C), being transferor public sector company, to NLC India Renewables Ltd (“NIRL”) (PAN: AAICN9440Q), being transferee public sector company, under the plan approved by the Central Government on 1st day of August, 2024, for the purposes of the said clause.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 122/2024/ F. No. 225/68/2024-ITA.II]

Dr. CASTRO JAYAPRAKASH T., Under Secy.